(6)

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा अनुभाग–4
संख्या– 142 /xxiv–4/2011–5(1)/2010
देहरादूनः दिनांक 09 जून, 2011

*कार्यालय–ज्ञाप*

राज्यपाल, कार्यालय आदेश संख्या 16/xxiv–4/2011–5(1)/2010, दिनांक 04 मार्च, 2011 द्वारा गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुये उक्त समिति का गठन अब निम्नवत् किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

| | | |
|---|---|---|
| (1) | मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार। | अध्यक्ष |
| (2) | कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार। | सदस्य |
| (3) | प्रमुख सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| (4) | सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| (5) | अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| (6) | अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| (7) | अपर सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| (8) | निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| (9) | निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून। | सदस्य सचिव |

2. यह समिति मंत्रिमण्डल के उपरोक्त निर्णयों का कियान्वियन शीघ्र सुनिश्चित करेगी।

3. उपर्युक्तानुसार कार्यालय आदेश दिनांक 04 मार्च,2011 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायें।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 142 (1)/xxiv–4/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
2. प्रमुख सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

H.S.

# मंत्रिमण्डल के आदेश दिनांक 27–12–2010 को पारित निर्णय बिन्दु–01 से 08

(1) कक्षा–1 से 10 तक संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं (विज्ञान वर्ग सहित) में ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था एवं राज्य में स्थापित निजी शिक्षण संस्थाओं/परिषदों को भी उनके अधीन संचालित कक्षा 01 से 10 में संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्रेरित किया जाय।

(2) हरिद्वार एवं ऋषिकेश को संस्कृत नगरी घोषित किया जाय। हरिद्वार ब ऋषिकेश में व्यवसायिक केन्द्रों में कार्यरत लोगों को संस्कृत भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने के दृष्टिगत नैत्यिक रूप में प्रयोग होने वाली भाषा/शब्दों का संस्कृत भाषा में रूपान्तरण सम्बन्धी किताबें/सामग्री/बुकलेट तैयार कर प्रचारित एवं प्रसारित की जाय।

(3) गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल से एक–एक गांव संस्कृत ग्राम के रूप में चिन्हित किया जाय।

(4) प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों (कलेक्ट्रेट) में संस्कृत अनुवादकों के एक–एक पद (कुल–13 पद) सृजित किये जाने एवं उन पर शीघ्रातिशीघ्र नियुक्तियां किए जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय। संस्कृत अनुवादकों की आवश्यकता वाले विभागों को चिन्हित करते हुए पद सृजन का प्रस्ताव यथाप्रक्रिया मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

(5) संस्कृत भाषा का व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाय।

(6) शासकीय कार्यालयों/अधिष्ठानों की नाम पट्टिकाएं संस्कृत भाषा में भी लिखी जाय।

(7) संस्कृत शिक्षा विभाग को सुगठित एवं सुव्यवस्थित करते हुए उक्त के सुचारू रूप से संचालन हेतु सृजित पदों के सापेक्ष योग्य एवं पात्र अधिकारियों/व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति/निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्त किया जाय।

(8) देवप्रयाग स्थिति निजी ज्योतिष शोध संस्थान को पुनर्जीवित करने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय

.....